

न्यायालय नायब तहसीलदार भोपालगढ़, जिला जोधपुर

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सरकार जरिये पटवारी हल्का बुडकिया

श्री अमरनाथ पुत्र श्री अणदनाथ
निवासी बुडकिया

अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट

मुकदमा नम्बर 02/2019

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91

निर्णयः

दिनांक 13.06.2019

पत्रावली बमुकाम भोपालगढ़ पेश हुई। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब कर बाद तामील प्राप्त किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल स्वयं उपस्थित। सायल पटवारी हल्का बुडकिया ने अपने बयानों में गैर सायल द्वारा राजस्व ग्राम बुडकिया के खसरा नम्बर 283, रकबा 00.00.17 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि पर अवैद्य कब्जा करना बताया। गैर सायल ने अपना अतिक्रमण स्वीकार किया कर स्वयं के स्तर पर हटा लेने हेतु कहा तथा लिखित में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया। उभयपक्षों के साक्ष्य/सबूतों/जबाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया, जिसमें अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गैर सायल श्री अमरनाथ पुत्र श्री अणदनाथ जाति नाथ निवासी बुडकिया ने ग्राम बुडकिया के खसरा नम्बर 283, रकबा 00.00.17 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि पर बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है जिसके लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के अधीन गैर सायल श्री अमरनाथ को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं अतिक्रमित क्षेत्र में पड़ी सामग्री को बहक सरकार कुर्क कर निलाम करने के साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.021 प्रति वर्ष का पचास गुणा कुल रूपये 01/- अक्षरे एक रूपया मात्र बतौर जुर्माना से दण्डित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की पालना में पटवारी हल्का बुडकिया को अतिक्रमित क्षेत्र में पड़ी सामग्री को बहक सरकार कुर्क कर निलाम करने एवं जुर्माना की मांग कायमी के लिए टी.आर.ए. कार्यालय हाजा एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद निर्णय पालना फैसल शुमार होकर दाखील दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे निर्देशन में कम्प्यूटर से टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर